LOK SABHA

Saturday, 11th May, 1957

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock.

[SPEAKER *protem* (SETH GOVIND DAS) *in the Chair.*]

MEMBERS SWORN

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है, अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे सब अब शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं ।

Mr. Speaker: Members who have not taken the oath or made the affirmation may do so now.

Shri Venkatasubbaiah (Adoni)

Shri D. P. Singh (Gonda)

Shri J. Mandal (Khagaria)

Shri U. S. Malliah (Udipi)

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur)

Shri Sanganna (Koraput-Reserved Sch. Tribes)

Shri T. N. Singh (Chandauli)

Shri Halder (Diamond Harbour-Reserved Sch. Castes)

अध्यक्ष महोदय : यदि और कोई सदस्य रह गये हों, जिन का नाम न पुकारा गया हो, वे भी आ सकते हैं ।

Mr. Speaker: Members whose names have not been announced so far can also come and take the oath or make the affirmation. *I see none.*

POINT *RE* BULLETIN—PART I

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल की कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय द्वारा जो विवरण प्रसारित किया गया है, उस की ओर मैं आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं । मेरा अभिप्राय "समाचार—भाग १" से है, जिस में कल की कार्यवाही का सारांश दिया गया है । कल जो मौन का कार्यक्रम हुआ, उस के सम्बन्ध में कहा गया है कि "दूसरी लोक सभा की पहली बैठक के महान अवसर पर सदस्य दो मिनट के लिये मौन खड़े रहें" । यह नितान्त अशुद्ध है । सदस्य लोक सभा की पहली बैठक के.....

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई अशुद्धि है, तो उसे देख लिया जायेगा ।

RE MOTIONS FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिदिव कुमार चौधरी तथा अन्य दो माननीय सदस्यों ने दो कामरोको प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं । पहले का सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल की खाद्य-स्थिति से तथा दूसरे का पूर्वी बंगाल से आये हुये शरणार्थियों के लिये सहायता की व्यवस्था से है । नियमानुसार तो माननीय सदस्य को इस प्रकार के कामरोको प्रस्तावों की सूचना देने का अधिकार है । परन्तु साधारण संसदीय परम्परा यह है कि राष्ट्रपति के संसद् के सम्मुख अभिभाषण से पूर्व भवन में माननीय सदस्यों के शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने तथा अध्यक्ष के निर्वाचन के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं की जाती । मेरे विचार से इसी परम्परा का अनुसरण करना वांछनीय होगा । अतः मैं अध्यक्ष द्वारा इन दोनों कामरोको प्रस्तावों पर विचार किया जाना उस समय